5 अगस्त 2013

माननीय​​​​​​​ श्री के. रहमान ख़ां साहिब,

अस्सलामु अलैकुम

आज के टाइम्स आफ़ इणिडया में पेज 9 पर आपके हवाले से यह ख़बर दी गयी है कि आप ने श्री राहुल गांधी को विशेष रूप से मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की आवश्यकता से अवगत कराया है। हमें विश्वास है कि आप ने इस सन्दर्भ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षण संस्थाओं तथा सरकार की आवासीय योजनाओं आदि सब में आरक्षण की आवश्यकता को प्रस्तुत किया होगा।

2. आपके इस अति उचित क़दम के लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। अल्लाह आप से प्रसन्न हो। अब मुसलमान इस सम्बंध में कांग्रेस पार्टी और यूपीए के जवाबी क़दम की प्रतीक्षा करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि यह जवाबी कार्रवाई किस तेज़ी से अंजाम दी जाती है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मुसलमानों को न्याय देने की दीर्धकालीन मांग को पूरा करने की दृष्टि से यूपीए की जारी इनिंग के दौरान कितने ही क़ीमती साल व्यर्थ हो गए हैं। इस सम्बंध में उर्दू, हिदी व अंग्रेजी में मेरे लेख आप ने देखे होंगे और 19 जुलाई 2013 को यूपीए सरकार को सम्बोधित मेरा 20 सूत्रीय पावर प्वाइंट प्रिज़ेंटेशन भी आप ने देखा होगा। उन्हें एक नज़र फिर से देखने के लिए http:www.zakatindia.org/20PointsActionPlan.html पर क्लिक करके उन तक पहुंचा जा सकता है।

3. आप को याद होगा कि जस्टिस मिश्रा आयोग ने बहुत स्पष्ट ढंग से और ज़ोर दे कर मुसलमानों के लिए सामान्यतः आरक्षण देने की सिफ़ारिश की है। दूसरी तरफ़ सच्चर कमेटी ने भी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया है। इस रिपर्ट में पेज 214 पर कहा गया हैः

“तीसरा वर्ग (अरज़ाल) जिनका परम्परागत व्यवसाय अनुसूचित जातियों की तरह ही है, सर्वाधिक पिछङे वर्ग (Most Backward Classes –MBCs) की श्रेणी में लिए जा सकते हैं क्योंकि वे भी “निरन्तर उत्पीङित” वर्ग हैं, जिसके आधार पर उन्हें आरक्षण सहित बहु आयामी उपायों की आवश्यकता है।

4. संविधान की धारा 46 में शामिल नीति निर्धारक सिद्धांत में कहा गया हैः

“46. राज्य जनता के कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एंव आर्थिक हितों को विशेष संरक्षण द्वारा विक्सित करेगा।“

5. इस धारा को सच्चर कमेटी तथा मिश्रा आयोग की रिपोर्टों के साथ मिला कर पढ़ा जाए कि मुसलमान अनुसूचित जातियों से भी अधिक पिछङे हुए हैं, तो मुसलमानों के लिए आरक्षण का आधार हर तरह से मौजूद है।

6. जस्टिम मिश्रा रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 16(4) में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए पर्याप्त आधार है और इसके लिए संविधान में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

7. कई राज्यों में मुस्लिम आरक्षण अदालत की छानबीन के बाद भी बाक़ी है। आप ने उन विशेषज्ञों द्वार सुझाए गए माडलों को निश्चित रूप से समझा होगा जिनके मन अन्याय की पीङा से पीङित हैं।

8. इन समस्त तथा अन्य सम्बंधित तत्वों पर नए सिरे से विभागीय आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

वस्सलाम

मिल्लत के कल्याण के लिए, शुभ कामनाओं के साथ, आपके जवाब की प्रतीक्षा में-

डा. सैयद ज़फ़र महमूद

अध्यक्ष – ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया,

व इण्टरफ़ेथ कोइलीशन फ़ार पीस